मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3/97/3/1, भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 97

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श से असहमत होने पर कारणों का उल्लेख किया जाना.

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि एक विभाग द्वारा एक अपील प्रकरण मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को नियमानुसार परामर्श हेतु भेजा गया. प्रकरण में आयोग के परामर्श को न मानते हुए दण्डादेश जारी किये गये. प्रशासकीय विभाग ने आयोग के परामर्श से असहमत होने के कारणों का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक नहीं समझा क्योंकि प्रकरण में मंत्रि-परिषद के निर्णयानुसार दण्डादेश जारी किये गये थे.

2. प्रशासकीय विभाग की यह कार्यवाही सर्वथा अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 17 में स्पष्ट प्रावधानित है कि आयोग की मंत्रणा के अप्रतिग्रहण के कारणों का उल्लेख किया जावे. यद्यपि मंत्रि-परिषद् के आदेश सर्वोपरि हैं तथापि प्रावधानित नियमों की उपेक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही इनके पालन से मंत्रि-परिषद् आदेश प्रभावित होता है. अतएव ऐसे प्रकरणों में जिनमें आयोग की मंत्रणा अप्रतिग्रहित की गयी हो, उनके कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना नियमानुसार आवश्यक है. ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती जिसके रहते हुए आयोग से असहमत होने के कारणों का उल्लेख न किया जा सके.

3. शासन चाहता है कि इन निर्देशों का पालन सावधानीपूर्वक एवम् कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./—
(शरद चन्द्र पण्ड्या)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-3/97/3/1 भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 1997

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयुक्त, म. प्र. इन्दौर,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल,
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल,
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.

3. मा. मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीजी/मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र.

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.

5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.

10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय, भोपाल.

11. आयुक्त, जनसंपर्क म. प्र. भोपाल,
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./—
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.